

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक

प्रकरण संख्या

41/2026

श्री भरतलाल जाट निवासी ग्राम परासिया पोस्ट लाम्बा तहसील व जिला टोंक

—अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक —प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 07.05.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

जिला कलेक्टर कार्यालय, टोंक की सतर्कता शाखा द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2026 एवं 5 फरवरी 2026 को निवाई उपखंड अधिकारी को कृषि सचिव के विरुद्ध जांच कार्यवाही हेतु पत्र जारी किए गए थे। अतः निम्न जानकारी प्रदान की जाए —

1. उक्त दोनों आदेशों के दर्ज क्रमांक (डायरी रजिस्टर क्रमांक) की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।
2. उक्त प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त अभिलेख, पत्राचार एवं नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाए।

अपीलार्थी को निर्धारित समयवधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 710 दिनांक 09.04.2026 व 804 दिनांक 21.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्त उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 146 दिनांक 27.04.2026 से जवाब प्रति प्रेषित किया है कि अपीलान्त द्वारा चाही गई सूचना का संबंध लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र क्रमांक 156 दिनांक 23.02.2026 से अन्तरित किया गया तथा उनसे जवाब प्राप्त होने पर पत्र क्रमांक 259 दिनांक 06.04.2026 से अपीलान्त को सूचना उपलब्ध करा दी गयी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(Handwritten Signature)

(टीना डाबी)

प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक